जितना कोयला चाहिए, जितना कोयला डस्ट चाहिए, जिस पर ग्रिड स्टेशन चल सकता है, मौजूद है । थर्मल पावर के लिए जितना साधन चाहिए, हाइडल के लिए, एटामिक एनर्जी के लिए सबके लिए साधन हैं लेकिन फिर भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है । इसी प्रकार से केन्द्रीय सरकार सुपर थर्मल पावर कहलगांव में बनाने वाली थी, वह भी नहीं बन रहा है । बरौनी का थर्मल पावर बुढ़ापे को प्राप्त कर रहा है । इसी तरह से केन्द्र सरकार वहां पर जो समय से लगाना चाहती है, वह भी नहीं लग रहा है, जिसके कारण उद्योग-धंधा समाप्त हो रहा है । सिर्फ उद्योग-धंधा ही समाप्त नहीं हो रहा है बल्कि आप देखेंगे, तो वहां के मजदूर भी आज आपको हरियाणा, पंजाब के खेतों में काम करते मिलेंगे, हावड़ा सियालदह के स्टेशनों पर मिलेंगे मोटियार के रूप में और कलकत्ता में आपको हाथ से रिक्शा खींचने वाले मिलेंगे । इस प्रकार से वहां पर उद्योग-धंधा के साथ-साथ मजदूर भी बेहाल हो चुके हैं ।

इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सुपर थर्मलपावर, ग्रिड स्टेशन, हाइडल से, जिस प्रकार से भी बिजली का उत्पादन बढ़ाकर वहां के उद्योग-धंधों की रक्षा की जाए, जिससे कि वहां मजदूरों को भी और अन्य लोगों को भी काम मिल सके और बिहार प्रदेश भी पिछड़ेपन से छुटकारा पाकर आगे बढ़ सके ।

ANNONCEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING 3rd MARCH, 1986

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (RAJYA SABHA) (SHRI SITARAM KESARI) : Sir, with your permission I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 3rd March, 1986, will consist of : —

1. Further discussion on the Motion of Thanks on the President's Address.

2. Consideration and passing/return of the following Bills, as passed by Lok Sabha :

   (a) The Spices Board Bill, 1986.

   (b) The Spices Cess Bill, 1986.

3. Discussion on the Resolution seeking disapproval of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Amendment Ordinance, 1986 and consideration and passing of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Amendment Bill, 1986.

4. General discussion on the Railway Budget for 1986-87.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 2·30 p.m.

The House then adjourned for lunch at twenty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the Clock—**Mr. Deputy Chairman in the Chair.**

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now, Papers to be laid on the Table.

Yes, Mr. Arunachalam.

PAPER LAID ON THE TABLE— Contd.

Notification of the Ministry of Industry (Department of company Affairs

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF IN-

DUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (3) of section 22A of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Industry (Department of Company Affairs) Notification S.O. No. 65(E), dated the 21st February, 1986, further exempting cetrain industries from the requirements of sections 21 and 22 of the said Act.

RESOLUTION REGARDING APPOINTMENT OF A COMMISSION TO INQUIRE INTO THE BACKWARDNESS OF EASTERN UTTAR PRADESH

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now, we shall take up Private Member's Resolution. Yes, Mr. Kalpnath Rai.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं संकल्प उपस्थित करता हूं : "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग घना आबादी वाला इलाका होने के बावजूद आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, इस सभा की सम्मति है कि केन्द्रीय सरकार —

(1) तत्काल एक आयोग नियुक्त करे जिसमें योजना आयोग के सदस्य हों और जिसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश हो, और यह आयोग उस क्षेत्र के पिछड़ेपन के विद्यमान कारणों की जांच करे और उसकी आर्थिक प्रगति की गति को तेज करने के लिए उपचारी उपायों का सुझाव दे और छः महीनों के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ; और

(2) इस बीच इस क्षेत्र के पिछड़ेपन की गम्भीरता तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कच्चे माल तथा रोजगार के अवसरों जैसे संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र के विकास के लिए एक त्वरित कार्यक्रम तैयार करे।"

उपसभापति जी, मैं अपने देश के प्रधान मंत्री आदरणीय राजीव गांधी से अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश की चार करोड़ जनता की तरफ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं। अपने नियोजन मंत्री से मैं इस बात की अपील करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान आर्थिक पिछड़ेपन को मद्देनजर रखते हुए वे एक आयोग का गठन करें जो इस बात पर विचार करे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। दूसरे छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या काम किया गया और आने वाली सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सरकार क्या करेगी। इन्हीं तीन मुद्दों पर इस आयोग का गठन किया जाना चाहिए। आदरणीय उपसभापति जी, आज मैं पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का चार करोड़ आबादी वाला इलाका आज हिन्दुस्तान में सबसे पिछड़ा और निर्धन इलाका है। प्रति व्यक्ति आमदनी इस क्षेत्र की हिन्दुस्तान में सब से कम है। बाढ़, सूखा के प्रकोप से लगातार यह इलाका ग्रसित होता रहा है। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इस क्षेत्र की जनता ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद को उखाड़ कर फेंकने के लिये कठोर संघर्ष किया था। परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने इस क्षेत्र की अपने शासन के दौरान उपेक्षा की। रोजी-रोटी की तलाश में इस क्षेत्र के लोग अंग्रेजी राज के बाहर गये—सिंगापुर, बर्मा, मलेशिया, मारिशश, फिजी, गयाना आदि इलाकों में जाकर अपनी रोजी रोटी के लिये नौकरियां करते रहे। आजादी मिलने के बाद विदेशों में जाना अब इस क्षेत्र के लोगों का बन्द हो गया। विदेशी सरकारों ने उन देशों में हिन्दुस्तान के लोगों का जाना बन्द कर दिया। परिणामस्वरूप रोजी रोटी का सवाल एक गहरे संकट के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश में उठ खड़ा हुआ है। बाढ़ और सूखा के कारण इस क्षेत्र की खेती हर साल नष्ट हो जाया करती है। कम जमीन